उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन

संख्या 956-अ०स०एवं प्र०सु०1/पाकालि/09 लखनऊ दिनांक 15-12-2009

कार्यालय ज्ञाप

यह संज्ञान में आया है कि मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता समीक्षा बैठक में बुलाये जाते है, वह समीक्षा बैठक के बाद एक या दो दिन लखनऊ में प्रवास करते है जिससे उनके मुख्यालय के उपभोक्ताओं को परेशानी तथा राजस्व वसूली भी प्रभावित होती है और दूसरी ओर कारपोरेशन पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ता है। प्रायः यह भी देखा गया है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को बुलाया नही जाता है उनको भी साथ में ले आते हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उन अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता उसी दिन का स्वीकृत किया जायेगा जिस दिन उनको समीक्षा बैठक में बुलाया गया हो । भविष्य में कोई अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति या यथोचित कारण के मुख्यालय में उपस्थित पाये गये तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(नवनीत सहगल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 956-अ०स०एवं प्र०सु०1/पाकालि/09 दिनांकःदिसम्बर 15 , 09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, शक्ति भवन, लखनऊ
2. प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणाचंल/केस्को।
3. निदेशक (वित्त)/(का0प्र0 एवं प्रशा)/(वाणिज्य)/(वितरण)/शक्ति भवन, लखनऊ। अधिशासी निदेशक
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, वितरण/पारेषण।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, वितरण।